



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 22.06.2024

कार्यालय

पुलिस

अधीक्षक

बांदा

❖ थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों का संग्रहण, निर्माण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों पर की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 22.06.2024 को थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि थाना बिसण्डा को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 शातिर अभियुक्तों 1-मुन्ना यादव पुत्र रघुनाथ यादव निवासी बहोरवा पुरवां थाना गिरवां को खुरहण्ड मार्ग बिलगांव नहर पुलिया से तथा 2-प्रीतम सिंह पुत्र शिवबालक निवासी शिव मवई थाना बिसण्डा को पंडित कृष्णदत्त डिग्री कालेज के पास ग्राम शिव से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 01-01 अवैध तमंचा व 01-01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

बरामदगी-

- 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुन्ना यादव पुत्र रघुनाथ निवासी बहोरवां पुरवां थाना गिरवां जनपद बांदा।
2. प्रीतम सिंह पुत्र शिवबालक सिंह निवासी शिव मवई थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग -

- मु0अ0सं0 221/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0 222/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रीतम सिंह उपरोक्त -

- मु0अ0सं0 30/19 धारा 307/504 भादवि थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0 31/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री संजय मिश्र चौकी प्रभारी ओरन
2. श्री राजेश कुमार मिश्र चौकी प्रभारी सिंहपुर
3. कां0 भानू प्रताप यादव
4. कां0 हेमन्त कुमार
5. कां0 अरविन्द यादव